4/ 2015/ संख्या-142/ 77-4-15-18एसआईडीसी/ 14

प्रेषक,

ओम प्रकाश पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यू0पी0एस0आई0डी0सी0,
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक फरवरी, 2015

विषयः औद्योगिक क्षेत्र रामनगर (वाराणसी), अमौसी (लखनऊ) एवं सूरजपुर (गौतमबुद्ध नगर) को नवीन एवं शो-केस इण्डस्ट्रियल माॅडल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-873/ एसआईडीसी/ प्र0नि0कैम्प, दिनांक 15.10.2014 एवं तद्विषयक पत्र दिनांक 14.01.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने के लिए यह आवश्यक है कि स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में रख-रखाव एवं उसके अनुरक्षण की समुचित व्यवस्था की जाय। इस दृष्टि से उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र अमौसी (लखनऊ), रामनगर (वाराणसी) तथा सूरजपुर (गौतमबुद्ध नगर) को प्रथम चरण में नवीन एवं शो-केस इण्डस्ट्रियल माॅडल के रूप में विकसित करने हेतु चयनित किया गया है। शो-केस इण्डस्ट्रियल माॅडल के मुख्य उद्देश्य निम्नवत होंगेः-

(1) इन औद्योगिक क्षेत्रों को नवीन एवं शो-केस इण्डस्ट्रियल माॅडल के रूप में विकसित किया जायेगा, जिससे उ0प्र0 के औद्योगिक क्षेत्र अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक विकसित एवं उद्योगपरक हों, यह प्रयोग सफल होने पर इसी तर्ज पर इसका विस्तार अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी किया जायेगा।

(2) इन औद्योगिक क्षेत्रों को पर्यावरण/ प्रदूषण नियंत्रित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जायेगा।

(3) इन औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग से सम्बन्धित समस्त सुविधाओं को एकीकृत रूप से (सिंगल विण्डो) उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) इन औद्योगिक क्षेत्रों को शो-केस माॅडल के रूप में उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान किये जाने पर विदेशी एवं अन्य राज्यों के उद्यमियों को निवेश हेतु आकर्षित करने में मदद प्राप्त होगी।

2. नवीन एवं अभिजात माॅडल इण्डस्ट्रियल एरिया को विकसित करने एवं इस पर होने वाले व्यय को उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा।

3. शो-केस इण्डस्ट्रियल माॅडल एरिया के विकास के उपरान्त पार्क, स्ट्रीट लाइट, सड़कों आदि के अनुरक्षण हेतु सम्बन्धित औद्योगिक प्रतिष्ठानों से सहयोग लिया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in/go

4. प्रश्नगत औद्योगिक क्षेत्रों में उपरोक्त प्रस्तर- 1,2,3 में वर्णित अवस्थापना सुविधाओं को समग्र रूप में पुनस्र्थापित एवं सुदृढ़ कर शो केस इण्डस्ट्रियल मा ॅडल के रूप में विकसित किये जाने, नगर निगम एवं निकायों को पूर्व में प्राप्त होने वाले कर को वसूल करने तथा इन क्षेत्रों का अनुरक्षण करने का दायित्व यू0पी0एस0आई0डी0सी0 का होगा। उक्त कार्यो पर आने वाले व्यय भार का वहन उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा अपने स्रोतों से किया जायेगा, और राज्य सरकार द्वारा इस मद में कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। विकसित किये जाने वाले मा ॅडल की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति गठित होगी, जिसमें सम्बन्धित क्षेत्र में कार्यशील इकाईयों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित रहेंगे।

5. कृपया औद्योगिक क्षेत्र रामनगर (वाराणसी), अमौसी (लखनऊ) एवं सूरजपुर (गौतमबुद्ध नगर) को नवीन एवं शो-केस इण्डस्ट्रियल मा ॅडल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(ओम प्रकाश पाठक)
विशेष सचिव।

संख्या-142(1)/ 77-4-15तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, आवास/ वित्त/ नियोजन/ सचिव नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
3. निदेशक, सूचना उ0प्र0 शासन।
4. गार्ड फाईल/ वेबसाइट/ प्रभारी सूचना, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(देवी प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/go